बिहार सरकार

योजना एवं विकास

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-जी0सां0को0-01/2011/ 25 /पटना, दिनांक- 09.01.14

प्रेषक,

अवध किशोर सिन्हा
संयुक्त निदेशक
-सह-
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा मे,

सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहार

विषयः दिनांक 03.12.2013 से 30.01.2014 तक अभियान अवधि में जिला में किए गए कुल जन्म रजिस्ट्रीकरण संख्या के विरूद्ध राशि कोषागार में जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का शत-प्रतिशत जन्म रजिस्ट्रीकरण कराने के उद्देश्य से दिनांक 03.12.2013 से 31.12.2013 तक जन्म रजिस्ट्रीकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था, जिसे बढ़ाकर 30.01.2014 तक अभियान को संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

(2) इस अभियान अवधि में जन्म के विलम्बित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु विलम्बित शुल्क 10/-(दस) रूपये मात्र को घटाकर 1/-(एक) रूपये मात्र करने का निर्णय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), बिहार द्वारा अधिसूचना संख्या 2239 दिनांक 22.11.2013 एवं अधिसूचना संख्या 2424 दिनांक 27.12.2013 द्वारा लिया गया है। साथ ही, इस विलम्बित शुल्क 1/-(एक) रूपये मात्र का भुगतान भी अभिभावकों द्वारा नही किए जाने एवं इसका व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय संकल्प संख्या 1947 दिनांक 10.12.2013 द्वारा लिया गया है।

(3) उपर्युक्त के आलोक में दिनांक 03.12.2013 से 30.01.2014 तक अभियान अवधि में किए गए कुल जन्म रजिस्ट्रीकरण की संख्या के आधार पर प्रति रजिस्ट्रीकरण 1/-(एक) रूपये मात्र की दर से कुल राशि को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जमा शीर्ष में जमा किया जाना है। इस हेतु सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को अलग से राशि का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों द्वारा निम्न प्रक्रिया उपनायी जाएगी:-

(क) सर्वप्रथम दिनांक 03.12.2013 से 30.01.2014 तक अभियान अवधि में पंचायतवार किए गए कुल जन्म रजिस्ट्रीकरण संख्या से संबंधित प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से प्राप्त करना। इस प्रतिवेदन में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने प्रखण्ड के सभी पंचायतों में हुए जन्म रजिस्ट्रीकरण की पंचायतवार विवरणी प्रेषित करेंगें, जिसमें पंचायत का नाम, अभियान अवधि में कुल जन्म रजिस्ट्रीकरण की संख्या (रजिस्ट्रीकरण कमांक --------- से -------- तक) एवं अभियान अवधि में हुए जन्म रजिस्ट्रीकरण की कुल संख्या अंकित करेंगें।

ok

(ख) तत्पश्चात् जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सभी प्रखण्डों से प्राप्त सूचना को जिला स्तर पर समेकित करते हुए अभियान अवधि में अपने जिला में किए गए कुल जन्म रजिस्ट्रीकरण संख्या से संबंधित विवरणी तैयार करेंगें एव इस आधार पर आवंटन की मांग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से करेंगें।

(ग) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय जिलों से प्राप्त विवरणी के आधार पर जिलों को इस मद में राशि आवंटित करेंगें।

(घ) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी प्राप्त आवंटन की निकासी कर प्रखण्डों से प्राप्त पंचायतवार विवरणी के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की गयी विवरणी के साथ कुल राशि सरकार द्वारा निर्धारित जमा शीर्ष में जिला कोषागार में जमा करेंगें एवं इस चालान की छाया प्रति जिला स्तर पर तैयार की गयी विवरणी/पत्र की प्रति के साथ सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सभी पंचायत सचिवों को इसकी प्रति उपलब्ध कराऐंगें, जो अभिलेख के तौर पर इसे संग्रहित करेंगें।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी इस चालान की मूल प्रति अपने पास अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखेंगें एवं इसकी एक छायाप्रति निदेशालय (मुख्यालय) को उपलब्ध कराएंगें। सुलभ प्रसंग हेतु जिला स्तर पर तैयार किए जाने वाला पत्र का नमूना परिशिष्ट-1 पर एवं विवरणी का नमूना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

विश्वासभाजन

9.1.2014

(अवध किशोर सिन्हा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)

ज्ञापांक- जी0सां0को0-01/2011- 25 /पटना, दिनांक 09.01.14

प्रतिलिपिः- सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/सभी पंचायत सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.1.2014

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु)

परिशिष्ट–1
जिला स्तर पर तैयार किया जाने वाला पत्र का नमूना

जिला सांख्यिकी कार्यालय, 'क'

पत्रांक   दिनांक

प्रेषकः   जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,
               'क'

सेवा में,

               जिला कोषागार पदाधिकारी,
               'क'

विषयः   दिनांक 03.12.2013 से 30.01.2014 तक अभियान अवधि में पंचायतवार किए गए कुल जन्म रजिस्ट्रीकरण की संख्या के आधार पर कुल 1/– (एक) रुपये की दर से जिला स्तर पर समेकित कुल राशि को सरकार द्वारा निर्धारित जमा शीर्ष में कोषागार में जमा करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का शत–प्रतिशत जन्म रजिस्ट्रीकरण कराने के उद्येश्य से दिनांक 03.12.2013 से 31.12.2013 तक जन्म रजिस्ट्रीकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था, जिसे बढ़ाकर 30.01.2014 तक अभियान को संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

इस अभियान अवधि में जन्म के विलम्बित घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु विलम्बित शुल्क 10/–(दस) रुपये मात्र को घटाकर 1/–(एक) रुपये मात्र करने का निर्णय मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु), बिहार द्वारा अधिसूचना संख्या 2239 दिनांक 22.11.2013 एवं अधिसूचना संख्या 2424 दिनांक 27.12.2013 द्वारा लिया गया है। साथ ही, इस विलम्बित शुल्क 1/–(एक) रुपये मात्र का भुगतान भी अभिभावकों द्वारा नहीं किए जाने एवं इसका व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय संकल्प संख्या 1947 दिनांक 10.12.2013 द्वारा लिया गया है।

दिनांक 03.12.2013 से 30.01.2014 तक अभियान अवधि में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला के सभी पंचायतों में पंचायतवार किए गए कुल जन्म रजिस्ट्रीकरण संख्या से संबंधित प्रतिवेदन के आधार पर अभियान अवधि में हुए जन्म रजिस्ट्रीकरण की कुल संख्या –––––– है (विवरणी परिशिष्ट–1 पर संलग्न)। इस विलम्बित रजिस्ट्रीकरण हेतु विलम्बित शुल्क 1/–(एक) रुपये मात्र की दर से कुल ––––––––– रुपये का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। तदनुसार कुल ––––––––– रुपये का ट्रेजरी चालान सरकार द्वारा निर्धारित जमा शीर्ष में जमा करने हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है।

अनुरोध है कि कुल ––––––––– रुपये सरकार के जमा शीर्ष में जमा कराने की कृपा की जाए एवं चालान की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
'क'

परिशिष्ट—2

दिनांक 03.12.2013 से 30.01.2014 तक अभियान अवधि में जिला में जन्म रजिस्ट्रीकरण की कुल संख्या संबंधित विवरणी

जिला का नामः 'क'

कम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	रजिस्ट्रीकरण कमांक ------ से ----- तक	जन्म रजिस्ट्रीकरण की कुल संख्या
1	1	1 2 3 . .	376—400	25
	कुल			25
	2	1 2 3 . .		
	कुल			
	3	1 2 3 . .		
	कुल			
	4	1 2 3 . .		
	कुल			
	5	1 2 3 . .		
	कुल			
	जिला का कुल योग (1+2+3+4+5)			**25**

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
'क'